

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

निम्नदाब विद्युत कनेक्शन में भार/मांग (वृद्धि/कमी)/टैरिफ परिवर्तन हेतु आवेदन सह अनुबंध पत्र

प्रति,

सहायक/कनिष्ठ अभियंता

छ.ग.रा.वि.कं.मर्या.....

महोदय,

मैं/हम अपने परिसर में बिजली प्रदाय हेतु निवेदन करता/करती हूँ/हैं। इसके लिए वांछित जानकारी-

1. विद्युत कनेक्शन क्रमांक(बी.पी.क्रमांक).....
2. आवेदक/संस्थान का नाम.....
3. पिता/पति/निदेशक/हिस्सेदार/ट्रस्टी का नाम.....
4. परिसर का पता (जहाँ कनेक्शन में भार वृद्धि/कमी/टैरिफ परिवर्तन हेतु आवेदन किया जा रहा है)
मकान/प्लाट/परिसर क्रमांक..... सड़क /क्षेत्र/कालोनी.....
कस्बा/शहर/गांव..... जिला.....
मोबाईल नं..... ईमेल (उपलब्ध है तो).....
आधार कार्ड क्रमांक..... बी.पी.एल.सर्वे सूची क्र.....
5. विद्युत आपूर्ति का प्रयोजन.....
6. परिसर में स्वीकृत भार..... स्वीकृति टैरिफ.....
7. प्रस्तावित कुल संयोजित भार/अनुबंधित मांग..... किलो वाट/एच.पी
8. प्रस्तावित कुल संयोजित भार/अनुबंधित मांग में वृद्धि/कमी वांछित है.....
9. विद्युत कनेक्शन का प्रकार : 1.सिंगल फेस 2.थ्री फेस
10. समीपस्थ निम्नदाब लाईन के खम्भे में प्रस्तावित विद्युत आपूर्ति के बिन्दु की दूरी.....मी
11. क्या आवेदक के नाम से अनुज्ञप्तिधारी की कोई बकाया राशि शेष है हाँ/नहीं
12. क्या स्थल जहाँ विद्युत आपूर्ति मांगी जा रही है पर कोई बकाया राशि शेष है हाँ/नहीं
13. शासन द्वारा अधिकृत विद्युत लायसेंसि ठेकेदार का नाम जिसके द्वारा आवेदित परिसर में विद्युत वायरिंग का कार्य किया गया है नाम व पता.....
लाईसेंस क्रमांक.....
14. उपरोक्त आवेदन के आधार पर विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से निम्न बिन्दु पर तैं/हम सहमत हैं।
क. उपरोक्त दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं अन्यथा की स्थिति में परिणामों की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी रहेगी।
ख. यह कि छ.ग. रा.वि.वितरण कं.मर्या जिसका आगे चलकर वितरण कंपनी के नाम से उल्लेख है उपभोक्ता को 230/400 वोल्ट पर कंडिका क्रमांक 03 में दर्शाये हुए स्थान पर विद्युत आपूर्ति करेगा। उपभोक्ता इसका उपयोग कंडिका क्रमांक .05 में दर्शाए प्रयोजन के लिए और कंडिका क्रमांक 08 में घोषित भार की सीमा तक ही करेगा।
ग. यह कि विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था पूरी हो जाने पर वितरण कंपनी उपभोक्ता को विद्युत उपलब्धता की सूचना देगी सूचना के उपरांत एक माह की अवधि में उपभोक्ता को कनेक्शन लेना होगा अन्यथा अवधि समाप्त होने के अगले दिन से ही अथवा कनेक्शन लेने की तिथि से अनुबंध प्रभावशील होगा यह अनुबंधविद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अधीन विद्युत प्रदाय समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा।

स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज
फोटो

- घ. यह कि उपभोक्ता द्वारा विगत माह में की गई विद्युत की खपत के लिए वितरण कंपनी को प्रत्येक माह ऐसे विद्युत एवं अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा जो कि अनुबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिए समय समय पर आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे। इन प्रभारों में इंधन मूल समायोजन प्रभार एवं अन्य विविध प्रभार भी सम्मिलित होंगे।
- ड. यह कि उपभोक्ता विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों (समय समय पर संशोधित) के अनुसार आवश्यक प्रतिभूति और अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा।
- च. यह कि उपभोक्ता परिसर पर किसी भी प्रकार की बकाया राशि/संचित राशि का भुगतान करेगा तथा सहमति देता है कि वितरण कंपनी उपभोक्ता से इस तरह की राशि वसूली अथवा बकाया राशि को उपभोक्ता के नाम पर किसी अन्य मौजूद कनेक्शन, चाहे वह किसी अन्य परिसर में हो, में स्थानांतरित कर सकने हेतु अधिकृत रहेगा।
- छ. यह कि उपभोक्ता विद्युत वितरण कंपनी द्वारा चयनित स्थान पर स्थापित विद्युत मीटर की सुरक्षा करेगा एवं उक्त मीटर की सील के साथ छेड़खानी नहीं करेगा।
- ज. यह कि उपभोक्ता अपने परिसर में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को मीटर वाचन, निरीक्षण, जाँच संधारण एवं परीक्षण आदि हेतु निर्बाध प्रवेश देगा।
- झ. यह कि उपभोक्ता विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदत्त विद्युत का उपभोग स्वयं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति/परिसर में विद्युत का विस्तार/किराए आदि पर देने का कार्य नहीं करेगा।
- ञ. यह कि आवेदक द्वारा आवेदन के साथ परिसर के विद्युत वायरिंग की टेस्ट रिपोर्ट उपरोक्त लाईसेंसी ठेकेदार द्वारा प्राप्त कर विद्युत वितरण कंपनी को प्रस्तुत किया जावेगा।
- ट. यह कि उपभोक्ता विद्युत अधिनियम 2003 के तहत निर्धारित कानून एवं नियम संशोधनों सहित विद्युत प्रदाय संहिता तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपबंध) नियमावली 2010 के प्रावधानों में समय समय पर किए गए संशोधनों के अंतर्गत ही विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति की जावेगी तथा उपभोक्ता उक्त प्रावधानों का पालने करने हेतु बाध्य होगा। अनुबंध का अर्थ एवं व्याख्या भी उन्हीं के यथासंदर्भानुसार की जावेगी।

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने आवेदक ने हस्ताक्षर किए।

(नाम व पता)

1. गवाह

2. गवाह

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक.....

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने प्राधिकृत अधिकारी ने हस्ताक्षर किए।

(नाम व पता)

1. गवाह

2. गवाह

विद्युत वितरण कंपनी के प्राधिकृत

अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांक.....

संबद्ध भार की गणना

1. उपभोक्ता का नाम:.....
2. पता:.....
3. उपयोग हेतु प्रस्तावित विद्युत उपकरण: कृपया निम्नलिखित तालिका को भरें ताकि संबद्ध भार की गणना जा सके। सामान्यतः भार की गणना के लिए परिसर के प्रत्येक विद्युत उपकरण का वास्तविक अंकित विद्युत ही लिया जावेगा। यदि किसी उपकरण की निर्धारित विद्युत क्षमता अंकित नहीं है तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित तालिका के आधार पर विद्युत भार की गणना की जा सकती है।

| क्रमांक | विद्युत उपकरण का नाम | विद्युत भार वाट्स में | संख्या | कुल भार वाट्स में |
|---------|---|-----------------------|--------|-------------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| | | | | 03X04 |
| 01 | बल्ब | 12 | | |
| 02 | ट्यूब लाईट | 50 | | |
| 03 | पंखा | 60 | | |
| 04 | टेप रिकार्ड/म्यूजिक सिस्टम | 100 | | |
| 05 | टेलीविजन | 90 | | |
| 06 | मिक्सी | 375 | | |
| 07 | इलेक्टिक आयरन | 750 | | |
| 08 | फ्रिज | 150 | | |
| 09 | कूलर | 250 | | |
| 10 | हीटर (खाना पकाने एवं पानी गर्म करने हेतु) | 1000 | | |
| 11 | वाशिंग मशीन(कपड़े धोने की मशीन) | 750 | | |
| 12 | गीजर | 2000/3000 | | |
| 13 | माईक्रो वेव ओवन | 2000 | | |
| 14 | एयर कंडीशन (एक टन) | 1500 | | |
| 15 | एयर कंडीशन (डेढ़ टन) | 2250 | | |
| 16 | कम्प्यूटर | 100 | | |
| 17 | प्रिंटर | 150 | | |
| 18 | पम्प सेट प्रति (हार्सपावर) | 750 | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| | योग | | | |

- (अ.) अतिरिक्त प्लग पाईट/होल्डर को संबंध भार में नहीं जोड़ा जाएगा।
- (ब.) कतिपय घरेलू परिसरों में गीजर, रूम हीटर और एयर कंडीशन (बिना हीटर के) स्थापित होते हैं। यदि गीजर तथा रूम हीटर दोनों ही विद्युत उपकरण स्थापित हो तो इन दोनों के कुल विद्युत भार को जोड़कर इसकी तुलना एयर कंडीशन के विद्युत भार से की जावेगी एवं तुलनात्मक रूप से जो भी अधिक होगा, उसे संबंध भार की गणना में जोड़ा जावेगा।

